भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. **+1251**

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

एमआईसीई के लिए स्टाम्प शुल्क छूट

+1251. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सभी कार्यशील पूंजी, मूल ब्याज भुगतानों, ऋण और ओवरड्राफ्ट तथा सभी सांविधिक बकायों जिनकी लाइसेंस शुल्क, संपत्ति कर तथा उत्पाद शुल्क के संबंध में तत्काल आवश्यकता है, संबंधी अधिस्थगन में कम से कम अगले छह महीने तक बढ़ाने पर विचार कर रही है जैसाकि उद्योग संघों, फिक्की तथा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हासपिटैलिटी द्वारा सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या सरकार समेकित बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) के लिए स्टांप शुल्क में छूट देने की योजना बना रही है; और

(ग) सप्ताहांत, ग्रामीण और विरासत पर्यटन को शामिल करते हुए सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): आरबीआई ने आवधिक ऋण के मूल और ब्याज दोनों के भुगतान पर **31** मई, **2020** तक **3** माह के लिए ऋण स्थगन प्रदान किया था और फिर उसकी समय अवधि बढ़ाकर **31** अगस्त, **2020** की गई **।** अगस्त **2020** के बाद ऋण स्थगन की अवधि को बढ़ाया जाना प्रमुख हितधारकों के अनुरोध में शामिल है और पर्यटन मंत्रालय ने यह मुद्दा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के समक्ष उच्चतम स्तर पर उठाया है **।** यह मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विनियामक अपेक्षाओ में विलंब हेतु दंडात्मक प्रावधान, उत्पाद शुल्क, विद्युत शुल्क तथा संपत्ति कर में छूट जैसे मुद्दों पर भी बातचीत कर रहा है **।**

(ख): स्टांप शुल्क राज्य से संबंधित विषय है **।** स्टांप शुल्क लागू करने/ स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्णय राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में किसी उद्योग/क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुसार लिया जाता है **।**

तथापि यह मंत्रालय एम आई सी ई उद्योग की भावी अवसंरचनागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के इस उद्योग की क्षमता के विकास की आवश्यकता को अभिज्ञात करता है । और अधिक बड़े एम आई सी ई आयोजनों के आयोजन में भारत को सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय ने उद्योग जगत के हितधारकों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) के अंतर्गत वित्तीय सहायता, इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) की स्थापना, विदेशी पर्यटकों के लिए ई-कॉन्फ्रेंस वीजा की शुरुआत, घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से संवर्धनात्मक मीडिया अभियान, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए बिडिंग में इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) के सक्रिय सदस्यों को बाजार विकास सहायता के तहत वित्तीय सहायता आदि जैसे लाभ प्रदान किए हैं ।

(ग): घरेलू पर्यटन की बहाली पर्यटन मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है । देखो अपना देश अभियान वेबीनारो, सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चलाया जा रहा है । इस अभियान का मुख्य फोकस कोविड के बाद के परिदृश्य में यात्रा हेतु एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में भारत के प्रति घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विश्वास को पुनर्स्थापित करना है ।

यह मंत्रालय राज्य सरकारों तथा उद्योग जगत के हितधारकों के साथ सप्ताहांत, ग्रामीण तथा विरासत पर्यटन गंतव्यो सहित विभिन्न गंतव्यों के कंटेंट तैयार करने का कार्य कर रहा है जिन्हें घरेलू पर्यटन के लिए मांग सृजित करने के उद्देश्य से अतुल्य भारत वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लघु अंतर-राज्य और अंतरराज्य यात्रा कार्यक्रमों के रूप में प्रचारित किया जाएगा ।

*****